2013

अद्यतन जान

THE PRESENT DAY

निर्धारित समय : तीन घण्टे]

[पूर्णांक : 150

Time allowed: Three Hours]

[Maximum Marks: 150

नोट :

- (i) अभ्यर्थी **सभी** पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।
- (ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- (iii) एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यत: एक साथ दिया जाय ।

Notes:

- (i) Candidates should attempt all the five questions.
- (ii) All questions carry equal marks.
- (iii) The parts of same question must be answered together.
- 1. (क) संविधान के अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत दाखिल दया याचिका के निस्तारण में दीर्घकालीन विलम्ब न्याय के वितरण में एक गम्भीर बाधा है । इस कथन के प्रकाश में एवं निर्णीत वादों की सहायता से भारतीय संविधान में दी गई राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति का मूल्यांकन कीजिए ।
 - (ख) दण्ड के भयपरितकारी पहलू को समझाइये एवं समाज पर दण्ड के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये विशेषकर जब लोग सार्वजिनक छिव के व्यक्तियों को अपने टेलीविजन के पर्दे पर बार-बार सलाखों के पीछे देखते हैं ।
 - (a) Prolonged delay in disposal of mercy petitions filed under Article 72 of the Constitution is a serious hurdle in the dispensation of justice. In the light of this statement and with the help of decided cases evaluate the pardoning power of the President provided under the Constitution of India.
 - (b) Explain deterrent aspect of punishment and critically examine the effect of punishment on the society specially when people see high profile persons behind the bar repeatedly on their television.
- 2. (क) आधारिक रूप से भारतीय संविधान के भाग-III में दिये गये मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं परन्तु इस भाग में दिये गये कुछ प्रावधान निजी व्यक्तियों के कृत्यों पर भी प्रतिबन्ध लगाते हैं । व्याख्या कीजिये ।
 - (ख) किसी वस्तु का कब्जा (यिद सदोष भी हो) वास्तिवक स्वामी के अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्व के विरुद्ध एक समुचित हक है । विश्लेषण कीजिए और बताइये कि विधि कब्जे की संरक्षा क्यों करती है ?
 - (a) Basically fundamental rights provided under part III of the Constitution are available only against the State but there are certain provisions imposing limitations upon the actions of private individuals also. Discuss.

- (b) Possession of a thing (even if it is wrong) is a good title against the whole world except the real owner. Analyse this statement and state why law protect possession.
- 3. (क) मात्र एक उग्रवादी से निपटने के लिये नि:शुल्क विधिक सहायता तथा परामर्श लेने का अधिकार एवं एक अधिवक्ता के द्वारा बचाव के अधिकार को समाप्त अथवा कम नहीं किया जा सकता है. । निर्णीत वादों एवं भारत में विधिक प्रावधानों की सहायता से इस कथन का विश्लेषण कीजिये ।
 - (ख) संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दिये गये तटस्थता सम्बन्धी प्रावधानों की व्याख्या कीजिये एवं इस कथन पर टिप्पणी कीजिये कि "तटस्थ देशों की निष्पक्षता के नियमों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अतिष्ठित कर दिया गया है।"
 - (a) Right to free legal aid and right to consult and be defended by a lawyer cannot be taken away or whittled down simply to deal with one terrorist. Analyse this statement in the light of decided cases and legislative provisions in India.
 - (b) Discuss the provisions of neutrality provided under United Nations Charter and comment on the statement that 'rules of impartiality by neutral states are superseded by the United Nations Charter'.
- 4. (क) 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012' में वर्णित अपराधों की व्याख्या कीजिये तथा इस अधिनियम के उन प्रावधानों को लिखिये जो उन परिस्थितियों, जबिक एक कार्य अथवा लोप इस अधिनियम के साथ-साथ तत्समय प्रभावी अन्य किसी अधिनियम में भी अपराध गठित करे, से निपटने हेतु दिये गये हैं।
 - (ख) सिन्धियों की विधि पर वियना-अभिसमय, 1969 के अनुच्छेद 62 (1) के सन्दर्भ के साथ 'रिबस सिक स्टैंटिबस' के सिद्धान्त को समझाइये।
 - (a) Discuss the offences provided under 'Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012' and write the provisions of this Act to deal with the situations where an act or omission constitutes an offence under this Act as well as any other Act time being in force.
 - (b) Discuss the maxim 'Rebus sic stantibus' with reference to Article 62 (1) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.
- (क) निर्णीत वादों एवं हाल के उदाहरणों की सहायता से हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा परिकित्पत अध्यादेश जारी करने की शिक्त के औचित्य की व्याख्या कीजिये ।
 - (ख) वर्तमान दृश्यलेख में व्यक्ति के स्थान के विशेष सन्दर्भ के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय को समझाइये।
 - (a) With the help of decided cases and recent examples discuss the relevancy of ordinance making power as vitualized by the framers of our Constitution.
 - (b) Explain the subjects of International Law with special reference to place of individual in the present scenarios.

MUJ-01

2